

13/5
24

पत्रावली पेशद्वारे वकील प्राणी दायित्वगीत
को अप्राचीणगो मी लागिल पेश करेन हेतू
पुर्वाप्त अवसर दिवत जायतुम्हा हेतू। किं
पुर्वाप्त अवसर दिवने जाणे के बाबत मी
आज दिनांक तक लागिल मी रतीवे पेशगती
मी। अतः प्राणी मी आवेदन अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान काबतकारी अधि। कि अन्तर्
अंदेश 1 नियम 5 के तहत आरिज किया
जाता है।
पत्रावली फौजल शुभाव घोषणा
सकत होना आवीत रूपसे के

